राज्य सूचना आयोग
बिहार, पटना

के0 संख्या– 65/06–07

10.11.2006 आवेदन पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए सिविल सर्जन, समस्तीपुर से दिनांक–02.12.06 तक प्रतिवेदन की मांग करें। आवेदक को निर्धारित शुल्क जमा करने के लिए कहा जाए तथा सुनवाई हेतु 06.12.06 को 11.00 बजे प्रातः में रखें।

(पी0एन0 नारायणन) राज्य सूचना आयुक्त | (मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त | (न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

06.12.2006 दिनांक 10.11.2006 के आदेश के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई अभी तक नहीं हो पायी है। अतएव सुनवाई के लिए दिनांक 08.01.07 को 11.00 बजे प्रातः उपस्थापित किया जाय।

(पी0एन0 नारायणन) राज्य सूचना आयुक्त | (मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त | (न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

08.01.2007 निदेश के बावजूद सिविल सर्जन, समस्तीपुर द्वारा कंडिकावार मंतव्य प्राप्त नहीं हुआ है। अतएव ऐसी स्थिति में सिविल सर्जन, समस्तीपुर से कारणपृच्छा मांगा जाय कि क्यों नहीं उनके विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 20(1) की तहत कार्रवाई की जाय एवं उन्हें अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 31.01.07 को प्रातः 10.30 बजे स्वयं उपस्थित होने का भी निदेश दिया जाय। सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को सूचित किया जाय कि वे अपने स्तर से सिविल सर्जन, समस्तीपुर को आयोग के सम्मुख उपस्थित होने का निदेश दें। आवेदक को भी सुनवाई की तिथि की सूचना दी जाय।

(मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त | (न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

31.01.2007 वादी अनुपस्थित हैं। सिविल सर्जन, समस्तीपुर उपस्थित हैं पर उन्होंने कंडिकावार मंतव्य नहीं भेजा है। उनका कहना है कि दिनांक 08.01.2007 का पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 29.01.2007 को प्राप्त हुआ है और चूँकि वे छुट्टी पर थे और दिनांक 30.01.2007 के संध्या में लौटे थे। अतः पत्र पाते ही वे स्वंय उपस्थित हो गये। आयोग उनके कथन को मानते हुए वाद को आगामी तारिख 19.02.2007 के लिए सुनवाई हेतु निर्धारित करती है पर उस दिन कंडिकावार मंतव्य एवं दिनांक 08.01.2007 के निर्देश के अनुपालन में कारण पृच्छा दाखिल करेंगे। चूँकि सिविल सर्जन खुद उपस्थित हैं और अगली तारीख की जानकारी उन्हें है, अतएव उन्हें अलग से सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। मात्र वादी को सूचित करें।

(मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त | (न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

19.02.2007 वादी उपस्थित हैं । असैनिक शैल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर भी उपस्थित हैं और उन्होंने अपना मंतव्य भी दिया है जिससे प्रतीत होता है कि वांछित सूचनाएं वादी को दे दी गई हैं, पर वादी का कहना है कि सूचनाएँ पूर्ण नहीं हैं। चूँकि मामला दूसरे पदाधिकारी के यहाँ अभीतक लंम्बित है, अतः असैनिक शैल्य

चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा दिये गए मंतव्य पर त्मरवपदकमत पिसम करने की आवश्यकता है, जिसके लिए उन्होंने समय की प्रार्थना की है। अगली सुनवाई 26.02.2006 को प्रातः 10.30 बजे रखी जाय । चूँकि सिविल सर्जन, समस्तीपुर ने वांछित सूचना दे दी है, अतः अगली तारीख को उनके उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है

(मो0 शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

26.02.2007 वादी उपस्थित नहीं है और न उनके द्वारा सिविल सर्जन, समस्तीपुर द्वारा दिये गये सूचना के विरूद्ध में कोई रिज्वाइन्डर दायर किया गया है जिसके लिए पिछली तारखी को उन्होंने समय लिया था। चूँकि आवेदक को देय सूचना दे दी गयी है। अतः वाद को समाप्त किया जाता है।

(मो0 शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त